NeuSource STARTUP MINDS®
HELPING STARTUPS TO START

कंपनी के निगमन के बाद किए जाने वाले ग्यारह प्रमुख प्रमाणपत्र, लाइसेंस, और पंजीकरण

(11 Key Certifications, Licenses, and Registrations to be Done After Company Incorporation)

प्रत्येक पंजीकरण,
आपके सपनों
के महल की एक ईंट

We Help Startups to Start

"एक कंपनी की स्थापना के बाद, कुछ महत्वपूर्ण प्रमाणपत्र, लाइसेंस और पंजीकरण होते हैं जो व्यापार के सुचारु रूप से चलने के लिए जरूरी होते हैं। सबसे पहले, GST पंजीकरण आवश्यक है जो कर व्यवस्था को संभालता है और आपको टैक्स इनवॉइस जारी करने की अनुमति देता है। दूसरा, ट्रेडमार्क पंजीकरण आपके ब्रांड के नाम और Logo की रक्षा करता है। ISO प्रमाणन आपकी कंपनी की गुणवत्ता मानकों को मान्यता प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। Shops and Establishment पंजीकरण आपके व्यवसाय को स्थानीय निकायों में मान्यता प्रदान करता है। उद्यम पंजीकरण एक छोटे उद्योग के लिए है, जो आपको सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ उठाने में मदद करता है। Startup India Recognition से आपको टैक्स लाभ, सरकारी टेंडर में प्राथमिकता, और स्टार्टअप समुदाय के साथ नेटवर्किंग का मौका मिलता है। ट्रेड लाइसेंस व्यापार करने के लिए स्थानीय निकायों से अनुमति प्रदान करता है। Import Export Code (IEC) आपके व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की अनुमति देता है। कॉपीराइट पंजीकरण आपके बौद्धीक संपदा की रक्षा करता है। प्रोफेशनल टैक्स पंजीकरण आपके कर्मचारियों से प्रोफेशनल टैक्स कटौती करने की अनुमति देता है। अंत में, PF और ESI पंजीकरण आपके कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और लाभ प्रदान करते हैं। इन सभी पंजीकरणों को पूरा करना आपकी कंपनी को कानूनी रूप से मजबूत बनाता है और व्यापार करने में आसानी प्रदान करता है। ये पंजीकरण आपके व्यवसाय की साख और विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं, और लंबे समय में आपके व्यापार की सफलता के लिए आवश्यक होते हैं"

HEMANT GUPTA

Index

प्रमाणपत्र, लाइसेंस, और पंजीकरण: विश्वसनीयता की ओर आपका पहला कदम

जीएसटी पंजीकरण
(GST Registration)

ट्रेडमार्क पंजीकरण
(Trademark Registration)

आईएसओ प्रमाणीकरण
(ISO Certification)

दुकानें एवं प्रतिष्ठान का पंजीकरण
(Shops and Establishment Registration)

एमएसएमई (उद्यम) पंजीकरण
(MSME (Udyam) Registration)

स्टार्टअप इंडिया की पहचान
(Startup India Recognition)

व्यापार लाइसेंस
(Trade License)

आयात निर्यात कोड
(Import Export Code)

कॉपीराइट पंजीकरण
(Copyright Registration)

पेशेवर कर पंजीकरण
(Professional Tax Registration)

पीएफ और ईएसआई पंजीकरण
(PF & ESI Registration)

GST Registration

जीएसटी पंजीकरण: विश्वसनीयता की पहचान, जीएसटी - नियमों का पालन, व्यापारिक सफलता की कुंजी

कंपनी बन जाने के बाद GST (Goods and Services Tax) पंजीकरण करवा लेना चाहिए क्यूंकि जब कोई कंपनी बनती है, तो उसे विभिन्न प्रकार के व्यापारिक लेनदेन में शामिल होना पड़ता है और इन लेनदेनों पर अगर GST लागू होता है तो कंपनी का GST पंजीकरण होना अनिवार्य हो जाता है। अगर कानूनन GST रजिस्ट्रेशन की बाध्यता न भी तो भी ये रजिस्ट्रेशन स्वेच्छा से करवा लेना चाहिए क्यूंकि जीएसटी पंजीकरण से कंपनी 'रजिस्टर्ड डीलर' का दर्जा प्राप्त करती हैं, जो उसके व्यापार को और अधिक वैधानिक और भरोसेमंद बनता है।। इससे कंपनी अपने व्यापार को और अधिक प्रभावी ढंग से चला सकती है और बाजार में अपनी साख बना सकती है। GST पंजीकरण के बाद कंपनी अपने ग्राहकों को टैक्स इनवॉयस जारी कर सकती है, जो उसके व्यापार की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। इससे कंपनी की प्रतिस्पर्धी क्षमता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि अब वह बड़े और अधिक पेशेवर ग्राहकों और विक्रेताओं के साथ व्यापार कर सकती है। GST पंजीकरण कंपनी के लिए एक जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने कर दायित्वों को समझती है और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पंजीकरण व्यापारियों को अनेक लाभ देता है, जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, ई-कॉमर्स मंचों पर अपने उत्पाद बेचने की सुविधा और लोन स्कीम्स तक एक आसान पहुँच मिलना, इसलिए, जीएसटी पंजीकरण केवल व्यापारियों के लिए एक कानूनी जरूरत ही नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत में व्यापार करने का एक अधिक सुगम, पारदर्शी और लाभकारी तरीका भी है

1 When GST Registration Mandatory?

जब किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता की वार्षिक बिक्री 40 लाख रुपए (कुछ राज्यों में 20 लाख रुपए) से अधिक होती है, तो उसे जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाता है। यह सीमा वस्तु विक्रेताओं के लिए है, वहीं सेवा प्रदाताओं के लिए यह सीमा 20 लाख रुपए (कुछ राज्यों में 10 लाख रुपए) है। अपवादस्वरुप, अंतर-राज्यीय व्यापार करने वाले, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले, और वस्तुओं के आयात-निर्यात करने वाले व्यापारी जीएसटी पंजीकरण के लिए बाध्य होते हैं, चाहे उनकी बिक्री कितनी भी हो।

2 Multiple GST Registrations

यदि कोई व्यापार एक से अधिक राज्य से संचालित हो, तो करदाता को प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग-अलग जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक ऑटोमोबाइल कंपनी कर्नाटक और तमिलनाडु में बेचती है, तो उसे कर्नाटक और तमिलनाडु में अलग-अलग जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड पर एक ही राज्य में अपने अलग-अलग व्यवसायों के लिए अलग-अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है।

3 Composition Scheme

ये स्कीम छोटे व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए एक बड़ी सहूलियत है। इस स्कीम के तहत, जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है, वे इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं, हीं सेवा प्रदाताओं के लिए यह सीमा 50 लाख रुपये है। इस स्कीम में टैक्स की दरें 1% से शुरु होकर 5% तक होती हैं और सेवा प्रदाताओं के लिए 6% होती है। इसके अंतर्गत व्यापारी और सेवा प्रदाता इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकते और न ही वे अपने ग्राहकों को जीएसटी इनवॉइस जारी कर सकते हैं।

4 GST Compliances

GST रिटर्न भरने की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में GSTR-1 फॉर्म भरा जाता है, जिसमें विक्रय की जानकारी देनी होती है, और दूसरे चरण में GST का भुगतान के लिए GSTR-3B फॉर्म भरा जाता है। 5 करोड़ से कम बिक्री वाले व्यापारियों को प्रत्येक तिमाही में और 5 करोड़ से अधिक बिक्री वाले व्यापारियों को हर महीने रिटर्न भरना होता है। GSTR-1 के लिए मासिक रिटर्न 11 तारीख तक और तिमाही रिटर्न तिमाही के अंत के बाद 13 तारीख तक और GSTR-3B के लिए मासिक रिटर्न 20 तारीख तक और तिमाही रिटर्न 24 तारीख तक भरने की समय सीमा है। समय पर रिटर्न न भरने पर प्रतिदिन 50 रुपये की लेट फीस और टैक्स भुगतान में देरी पर हर महीने 1.5% का ब्याज लगता है। ध्यान ये भी रखना है की एक बार GST रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अगर कोई खरीद बिक्री नहीं भी है तो भी समय पर NIL रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है।

Trademark Registration

ट्रेडमार्क से बढ़ाएं अपने ब्रांड की शक्ति

कंपनी इंकॉर्पोरेशन के बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? ये सवाल हर नए व्यापारी के मन में उठता है। देखिए, ट्रेडमार्क यानी आपके ब्रांड का नाम, लोगो या कोई खास डिजाइन आपकी कंपनी की पहचान होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका नाम आपकी पहचान होती है। जब आप अपनी कंपनी का नाम या लोगो रजिस्टर कराते हैं, तो ये क़ानूनी तौर पर आपकी संपत्ति बन जाती है। इससे आपको कई फायदे होते हैं। सबसे पहले तो, आपके ब्रांड की अनोखी पहचान बनती है। ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस को आसानी से पहचान पाते हैं। दूसरा, अगर कोई दूसरी कंपनी आपके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करे, तो आप उस पर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। ये आपके ब्रांड को चोरी होने से बचाता है। इसके अलावा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपकी कंपनी की मार्केट में साख और भरोसे को भी बढ़ाता है। ग्राहक जब देखते हैं कि आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो उन्हें लगता है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस पर भरोसा किया जा सकता है। और इससे आपके व्यापार में ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से आपको व्यापार करने में भी आसानी होती है। आप अपने ब्रांड के नाम पर फ्रैंचाइजी दे सकते हैं, या फिर लाइसेंसिंग के जरिए अपने ब्रांड का विस्तार कर सकते हैं। इससे आपके व्यापार का दायरा बढ़ता है और आपकी कमाई में भी इजाफा होता है। अंत में, ये समझना जरूरी है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक तरह का निवेश है। इससे आपके व्यापार की लंबी अवधि की सफलता सुनिश्चित होती है। इसलिए, कंपनी बनाने के बाद अपने ब्रांड को रजिस्टर कराना न केवल समझदारी है, बल्कि आपके व्यापार की सफलता के लिए भी बेहद जरूरी है

1 Trademark Filing

एक ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कई चरण होते हैं – आवेदन दाखिल करना, परीक्षण और प्रकाशन, और अंत में, अगर सब कुछ ठीक रहता है, तो रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला चरण होता है "ट्रेडमार्क फाइलिंग" जिसमे सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि आपका ट्रेडमार्क अन्यों से अलग हो और पहले से कहीं रजिस्टर न हो। इसके लिए एक विस्तृत खोज की जाती है। यदि आपका ट्रेडमार्क अनूठा है, तो आप उसे संबंधित अधिकारी के पास फाइल कर सकते हैं।

2 Trademark Objection

ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार या किसी तीसरे पक्ष को आपके ट्रेडमार्क आवेदन पर आपत्ति हो सकती है यह आमतौर पर तब होता है जब आपका प्रस्तावित ट्रेडमार्क पहले से मौजूद ट्रेडमार्क के समान होता है, भ्रामक हो सकता है, या ट्रेडमार्क कानून के किसी अन्य मानक को पूरा नहीं करता। आपत्ति का सामना करते समय, आवेदक को अपने ट्रेडमार्क के पक्ष में तर्क और सबूत प्रस्तुत करने होते हैं।

3 Trademark Hearing

अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार, ट्रेडमार्क आवेदन पर आपत्ति के जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है तो वह आपको फेस तो फेस "ट्रेडमार्क सुनवाई" का अवसर देता है जिसे फिजिकली या वर्चुअल मीटिंग में पहले से निर्धारित तिथि को किया जाता है इसमें आवेदक या उसके वकील के द्वारा अपने ट्रेडमार्क के पक्ष में तर्क और सबूत प्रस्तुत किये जाते हैं, अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार आपके तर्कों और सबूतों से संतुष्ट हो जाता है तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है।

4 Renewal

जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, तो वो दस साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन दस साल बाद? आपको इसे नवीनीकृत करवाना पड़ता है, नहीं तो आपके ब्रांड की खास पहचान खतरे में पड़ सकती है तो अगर आपका ट्रेडमार्क नवीनीकरण का समय आ गया है, तो इसे हल्के में न लें और समय पर इसे रिन्यू करवा लें।

ISO Certification

ISO प्रमाणन: यह सिर्फ एक प्रमाणपत्र नहीं, एक विश्वास है कि गुणवत्ता कभी समझौता नहीं करती

कंपनी के निगमन के बाद ISO प्रमाणन क्यों जरूरी होता है। ISO, यानी International Organization for Standardization, एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जो विभिन्न प्रकार के व्यापारिक और उत्पादन संबंधित मापदंडों को तय करता है। जब एक कंपनी बनती है, तो उसके लिए बाजार में अपनी साख और विश्वसनीयता स्थापित करना बेहद जरूरी होता है। ISO प्रमाणन इसी में मदद करता है। यह प्रमाणन न केवल ग्राहकों का विश्वास बढ़ाता है, बल्कि व्यापारिक साझेदारियों और सरकारी अनुबंधों के लिए भी एक मानदंड के रूप में काम करता है। यह प्रमाणन दिखाता है कि कंपनी ने अपने उत्पादन और प्रबंधन के तरीकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढाल लिया है। इस प्रमाणन से कंपनी को बाजार में एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में पहचान मिलती है। ग्राहक और व्यापारी दोनों ही ISO प्रमाणित कंपनियों के प्रति ज्यादा विश्वास दिखाते हैं। यह प्रमाणन कंपनी की गुणवत्ता और उसके कार्य प्रणाली की नियमितता को सुनिश्चित करता है। इससे कंपनी के उत्पाद और सेवाएँ अंतरराष्ट्री य बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बन हैं। ISO प्रमाणन से कंपनी के अंदर के कामकाज को भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यह प्रमाणन प्रक्रिया में सुधार, गुणवत्ता प्रबंधन, और ग्राहक संतुष्टि पर जोर देता है। ISO प्रमाणन प्रक्रिया संस्थाओं को उनके आंतरिक प्रक्रियाओं को सुधारने और दक्षता बढ़ाने का अवसर देती है, जिससे लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि होती है और इससे कंपनी की कुल प्रतिष्ठा और मार्केट वैल्यू में भी वृद्धि होती है। ISO प्रमाणन न केवल कंपनी को बाजार में एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है, बल्कि इससे कंपनी के अंदरूनी प्रबंधन और उत्पादन प्रक्रियाओं में भी सुधार आता है। इस प्रकार, ISO प्रमाणन न केवल एक औपचारिकता है, बल्कि यह कंपनी के स्थायी विकास और सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है

1 Type of ISO Certification

सबसे प्रसिद्ध ISO 9001 है, जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) पर केंद्रित है। यह व्यापारिक संगठनों को अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। ISO 14001, पर्यावरण प्रबंधन पर केंद्रित है, जो संगठनों को पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करता है। ISO 45001, जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए है, यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल सुरक्षित और स्वस्थ रहे। ISO 27001, सूचना सुरक्षा प्रबंधन को लेकर है, जिससे कंपनियां अपने डेटा की सुरक्षा कर सकें। इसके अलावा, कई अन्य ISO मानक भी हैं जैसे ISO 22000 जो खाद्य सुरक्षा के लिए है, ISO 50001 जो ऊर्जा प्रबंधन के लिए है।

2 IAF Vs. Non-IAF ISO Certification

IAF (International Accreditation Forum)द्वारा मान्यता प्राप्त ISO प्रमाणीकरण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता और मान्यता प्रदान करते हैं। IAF सदस्य संगठनों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र विश्वभर में मान्य होते हैं, जिससे व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों में सहायता मिलती है। दूसरी ओर, Non-IAF ISO प्रमाणीकरण वे होते हैं जिन्हें IAF की मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा जारी नहीं किया गया होता। इस प्रकार के प्रमाणीकरण की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता नहीं होती और यह कुछ विशेष क्षेत्रों या देशों तक ही सीमित होते हैं।

3 ISO Audit

इसमें विशेषज्ञ ऑडिटर्स द्वारा दस्तावेज़ों की समीक्षा, कर्मचारियों से बातचीत और प्रक्रियाओं का अवलोकन शामिल होता है। आईएसओ ऑडिट का मुख्य उद्देश्य होता है यह पता लगाना कि कंपनी के ऑपरेशन्स में कोई कमी तो नहीं है और अगर है, तो उसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। यह एक तरह का गुणवत्ता नियंत्रण का उपकरण है जो कि कंपनियों को अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है और ग्राहकों को यह आश्वासन देता है कि उत्पाद या सेवाएं विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण हैं।

4 Renewal

आईएसओ प्रमाणन का नवीकरण आमतौर पर हर तीन साल में होता है, जिसमें व्यापक ऑडिटिंग और मूल्यांकन की प्रक्रिया शामिल होती है। इस प्रक्रिया के दौरान, ऑडिटर संगठन के प्रक्रिया प्रबंधन, कर्मचारी योग्यता, ग्राहक संतुष्टि और निरंतर सुधार के प्रयासों का मूल्यांकन करते हैं। नवीकरण की यह प्रक्रिया संगठन को नवीनतम बाजार ट्रेंड्स और तकनीकी प्रगति के अनुरूप अपने आप को अद्यतन रखने का एक अवसर प्रदान करती है।

Shops and Establishment Registration

अपने व्यापार को पंजीकृत करना उसे विकसित करने की ओर पहला कदम है

भारत में, किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को शुरू करने के लिए, विशेष रूप से जब आप एक कंपनी के रूप में निगमित होते हैं, तो दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। यह आपके व्यवसाय को सरकारी रिकॉर्ड में एक मान्यता प्रदान करता है जो आपको सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में सहायक होता है। यह पंजीकरण आपके व्यवसाय को एक वैधानिक पहचान देता है। इसके अलावा, दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण के द्वारा आप अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा भी करते हैं। यह पंजीकरण श्रम कानूनों के अंतर्गत आता है, जिससे कर्मचारियों के अधिकारों और उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें काम के घंटे, वेतन, छुट्टी, सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंड शामिल होते हैं। इस तरह, पंजीकरण के माध्यम से व्यापार में पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ावा मिलता है, जो न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि ग्राहकों के लिए भी विश्वास का कारण बनता है। यह पंजीकरण आपको स्थानीय निकायों और सरकारी विभागों से संबंधित अनुमतियों और लाइसेंस प्राप्त करने में भी सहायता करता है। दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण से आपके व्यापार को एक पेशेवर छवि मिलती है। यह ग्राहकों और व्यापारिक साझेदारों में विश्वास और सम्मान का भाव जगाता है। दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण से आपके व्यापार को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। यह आपके व्यापार को किसी भी प्रकार के अवैध प्रतिस्पर्धा और अनैतिक व्यापारिक प्रथाओं से बचाता है। इस पंजीकरण से आपको संभावित विवादों और मुकदमों में भी कानूनी सहायता मिलती है

1 Objective of Shops and Establishment Registration

इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना और नियोक्ताओं के कर्तव्यों को विनियमित करना है। पंजीकरण करके, नियोक्ता अपने कर्मचारियों के कल्याण और अधिकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, जैसे काम के घंटे, विश्राम अंतराल, ओवरटाइम, छुट्टियां, छुट्टी नीति आदि। इसके अलावा, सरकार के लिए, यह सक्रिय प्रतिष्ठानों की संख्या का पता लगाने, श्रम कानूनों के अनुपालन कोसुनिश्चित करने, और कर्मचारियों के शोषण को रोकने में मदद करता है। यह पंजीकरण सुनिश्चित करता है कि प्रतिष्ठान निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन करते हैं।

2 Shops and Establishment Registration Process

दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण की प्रक्रिया राज्य सरकार के नियमों के अधीन होती है। इसके लिए आपको अपने राज्य के लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण फॉर्म भरना होता है, इसके लिए ज्यादतर राज्यों में डाक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। पंजीकरण फीस भी देनी होती है, जो दुकान या प्रतिष्ठान के आकार और कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करती है। कुछ राज्यों में लेबर डिपार्टमेंट दुकान या प्रतिष्ठान का निरीक्षण भी करता है और सब कुछ ठीक रहने पर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। इसे दुकान या प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है। दुकान और प्रतिष्ठान के लाइसेंस की वैधता राज्यों के हिसाब से 1 या 2 या 5 साल की होती है।

3 Difference Between Udyam Registration and Shops & Establishment Registration

शॉप एक्ट के तहत सभी दुकानों और व्यावसायिक स्थापनाओं का पंजीकरण अनिवार्य है और यह राज्य-विशिष्ट है, जबकि उद्यम पंजीकरण स्वैच्छिक है और केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए है। शॉप एक्ट के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया अधिक जटिल है और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि उद्यम पंजीकरण सरल है और केंद्र सरकार के अधीन है। शॉप एक्ट के तहत पंजीकृत व्यवसायों को वार्षिक नवीनीकरण और विशिष्ट श्रम कानूनों का पालन करना होता है, जबकि उद्यम पंजीकरण जीवनभर के लिए वैध है और इसमें कोई अनुपालन दायित्व नहीं होते।

4 Difference Between Trade License and Shops & Establishment Registration

व्यापार लाइसेंस, विशेष रूप से उन व्यवसायों के लिए आवश्यक होता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित हैं, जैसे कि होटल, रेस्तरां, और Manufacturing Unit। दूसरी ओर, दुकान और स्थापना पंजीकरण अधिनियम, सभी प्रकार की दुकानों और व्यावसायिक स्थलों पर लागू होता है और यह श्रमिकों के कामकाजी स्थितियों और अधिकारों को नियंत्रित करता है, जैसे कि काम के घंटे, वेतन, और छुट्टियां। जहां व्यापार लाइसेंस अनैतिक व्यापारिक प्रथाओं को रोकने के लिए होता है, वहीं दुकान और स्थापना पंजीकरण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है।

MSME (Udyam) Registration

छोटे कदम भी बड़े सफर की शुरुआत होते हैं, उद्यम पंजीकरण से करें आरंभ

उद्यम पंजीकरण कंपनी के निगमन के बाद अनिवार्य क्यों है, इस पर विचार करने से पहले, हमें एमएसएमई के महत्व और इसके पंजीकरण के लाभों को समझना चाहिए। एमएसएमई, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये न केवल रोजगार सृजन में मदद करते हैं, बल्कि ये स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास में भी योगदान देते हैं। उद्यम पंजीकरण के माध्यम से, एक कंपनी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकती है, जैसे कि कम ब्याज दरों पर ऋण, सब्सिडी, टैक्स में छूट, और बहुत कुछ। कंपनी के निगमन के बाद उद्यम पंजीकरण करवाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यह न केवल कंपनी को वित्तीय सहायता और लाभ प्रदान करता है, बल्कि यह उन्हें एक वैधानिक मान्यता भी प्रदान करता है। इस पंजीकरण से कंपनी को सरकारी निविदाओं में भाग लेने का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें व्यापार के नए अवसरों तक पहुंच मिलती है। इसके अलावा, उद्यम पंजीकरण से कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय मेलों, व्यापार मेलों, और प्रदर्शनियों में भाग लेने का मौका मिलता है, जिससे उनके उत्पादोंऔर सेवाओं का प्रचार-प्रसार होता है। इसके अलावा, उद्यम पंजीकरण से कंपनी को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सहज और आसान ऋण प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह उन्हें क्रेडिट गारंटी योजनाओं का लाभ उठाने में भी सहायता करता है, जो वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, उद्यम पंजीकरण से कंपनी को विभिन्न प्रकार के ऑडिट और अनुपालन आवश्यकताओं से छूट मिलती है, जिससे उन्हें अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों को अधिक सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। उद्यम पंजीकरण एक कंपनी को बाजार में एक पहचान और विश्वसनीयता प्रदान करता है। यह उन्हें अपने व्यापार को विस्तारित करने और नए बाजारों में प्रवेश करने की संभावना देता है और तो और अगर आप MSME में रजिस्टर होते हो तो कोई भी बड़ी कंपनी आपका बकाया 45 दिनों से ज्यादा नहीं रोक सकती

1

Udyog Aadhar Registration Now MSME (Udyam) Registration

पहले, SSI या MSME पंजीकरण प्राप्त करने के लिए जटिल कागजी कार्यवाही की आवश्यकता होती थी, लेकिन उद्योग आधार पंजीकरण ने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया था। लेकिन अब, उद्योग आधार पंजीकृत उद्योगों और उद्यमियों को उद्यम पंजीकरण में माइग्रेट करना अनिवार्य है ताकि वे सरकार द्वारा MSME को प्रदान किए जाने वाले लाभों का लाभ उठा सकें और ये लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पुनः पंजीकरण करना होगा।

2

Declaration by Udyam Registration Portal

उद्यम पंजीकरण, कागजरहित है और आत्म-घोषणा पर आधारित है, जिसका मतलब है कि यह बहुत आसान और स्वयं से हो सकने वाला रजिस्ट्रेशन है। किसी भी दस्तावेज़ या सबूत की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ PAN और आधार नंबर ही काफी है। बिज़नेस के निवेश और टर्नओवर की जानकारी आयकर और जीएसटी के सरकारी डेटाबेस से ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। यह सिस्टम आयकर और जीएसटी सिस्टम्स के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। एक बिज़नेस एक से ज्यादा उद्यम पंजीकरण नहीं करवा सकता, लेकिन एक ही पंजीकरण में कई गतिविधियाँ जोड़ी जा सकती हैं।

3

Other Benefit

उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र होने से बैंकों से लोन सस्ते दर पर मिलते हैं, ब्याज दर कम होती है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) का क्रेडिट 15 साल तक ले जा सकते हैं।सरकारी टेंडर्स प्राप्त करना आसान हो जाता है, इसके पंजीकरण के जरिए सरकार की अलग-अलग योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, इन योजनाओं में क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी, सार्वजनिक खरीद नीति आदि शामिल हैं। इसके अलावा, बारकोड पंजीकरण सब्सिडी, डायरेक्ट टैक्स में छूट, ISO प्रमाणन शुल्क वापसी, बिजली बिल में रियायत, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में Special Consideration भी मिलता है।

4

Important to Know

उद्यमों को सूक्ष्म, लघु, और मध्यम श्रेणी में बांटा जाता है उनके निवेश और कारोबार के आधार पर । सूक्ष्म उद्यम उन्हें कहते हैं जिनमें एक करोड़ रुपये तक का निवेश और पांच करोड़ तक का कारोबार होता है, लघु उद्यम में दस करोड़ तक का निवेश और पचास करोड़ तक का कारोबार, और मध्यम उद्यम उन्हें कहते हैं जिनमें पचास करोड़ तक का निवेश और दो सौ पचास करोड़तक का कारोबार होता है।

Startup India Recognition

स्टार्टअप इंडिया की पहचान, नए विचारों का सम्मान

"स्टार्टअप इंडिया रिकग्निशन कंपनी इंकॉर्पोरेशन के बाद क्यों जरूरी है?" - यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर नए उद्यमी के मन में उठता है। दरअसल, स्टार्टअप इंडिया एक सरकारी पहल है जो नए और उभरते हुए व्यवसायों को सहायता प्रदान करती है। जब कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है, तो वह एक कानूनी इकाई बन जाती है, लेकिन उसे बाजार में स्थापित होने और विकसित होने के लिए कई प्रकार की चुनौतियों और प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, स्टार्टअप इंडिया रिकग्निशन उन्हें विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करता है, जैसे कि कर छूट और सरकारी निविदाओं में आसानी। इसके अलावा, स्टार्टअप इंडिया के तहत रिकग्निशन से कंपनियों को नेटवर्किंग का अवसर भी मिलता है।वे विभिन्न सेमिनारों,रों कार्यशालाओं और इवेंट्स में भाग लेकर अपने व्यवसाय को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इस पहल के माध्यम से, सरकार युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें उनके स्टार्टअप के विकास में मदद करने का प्रयास करती है। स्टार्टअप इंडिया रिकग्निशन से कंपनियों को न केवल वित्तीय सहायता और सुविधाएँ मिलती हैं, बल्कि इससे उन्हें अपने विचारों और उत्पादों को बाजार में स्थापित करने में भी मदद मिलती है। यह उन्हें अपने व्यवसाय को और अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी संसाधन और ज्ञान प्रदान करता है। इसके अलावा, यह उन्हें बाजार में एक पहचान प्रदान करता है, जो उनके व्यवसाय को अधिक विश्वसनीयता और विश्वास प्रदान करता है। स्टार्टअप इंडिया रिकग्निशन सिर्फ एक सरकारी प्रमाणपत्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जो नए उद्यमियों को उनके सपनों को साकार करने में मदद करता है। यह उन्हें एक सुरक्षित और समर्थन प्रदान करने वाले वातावरण में अपने व्यवसाय को बढ़ाने और विकसित करने का अवसर देता है। स्टार्टअप इंडिया रिकग्निशन कंपनी इंकॉर्पोरेशन के बाद न केवल जरूरी है, बल्कि यह उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी भी है

1

Startup India Scheme

भारत सरकार की एक पहल है जो नए उद्यमियों को सहायता देती है और Innovation को बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत, स्टार्टअप्स को आसानी से पंजीकरण, टैक्स में छूट, फंडिंग में सहायता, और बौद्धिक संपदा (IPR) के संरक्षण में मदद मिलती है। यह सरकारी टेंडर्स तक पहुँच, नेटवर्किंग के अवसर, और वैश्विक मंच पर पहुंचाने में भी सहायक है। इसका उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

2

Who can register with startup India?

अगर कोई बिज़नेस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में इंकॉर्पोरेटेड है, तो वह स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत खुद को रजिस्टर कर सकती है। इस तरह की बिजनेस एंटिटी का वार्षिक टर्नओवर Rs. 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, और ना ही इसके इंकॉर्पोरेशन/रजिस्ट्रेशन को हुए दस साल पुरे होने चाहिए। ऐसी एंटिटी को उत्पादों या सेवाओं या प्रक्रियाओं के नवीनीकरण, विकास या सुधार की दिशा में काम किया जाना भी जरुरी होगा।

3

Seed Funding after Startup India Recognition

इस स्कीम के अंतर्गत, चुने हुए इंक्यूबेशन सेंटर्स का कार्य होगा, उपयुक्त स्टार्टअप्स का चयन करना और उन्हें फंडिंग प्रदान करना। स्टार्टअप्स का आईडिया टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला और स्कैलेबिलिटी के साथ समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। पहले 20 लाख रुपये की ग्रांट दी जाएगी, जिसका उपयोग आईडिया की वैधता साबित करने, प्रोटोटाइप डेवेलपमेंट, और प्रोडक्ट ट्रायल के लिए किया जा सकता है। इसके बाद, इन स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपये का लोन भी प्रदान किया जा सकता है ताकि वे अपने बिजनेस मॉडल को मार्केट में उतार सकें।

4

Tax Exemption after Startup India Recognition

अगर आपने अपनी कंपनी या एलएलपी (LLP) को 1 अप्रैल 2016 के बाद बनाया है और आपको विश्वास है कि आप आने वाले 10 सालों में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं तो आप इनकम टैक्स की सेक्शन 80 IAC के तहत अगले 10 सालों में से किन्ही भी लगातार 3 सालो तक 100% की टैक्स छूट ले सकते है, 80IAC का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आपको किसी आयकर कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको सिर्फ Startup India की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी देनी होगी।

Trade License

व्यापार लाइसेंस - आपके उद्यम की वैधता का प्रतीक

कंपनी के निगमन के बाद व्यापार लाइसेंस क्यों अनिवार्य है?" - देखा जाए तो, कंपनी निगमन के बाद व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जरूरी कदम है। ये लाइसेंस सरकार द्वारा दिया जाता है जो कि यह सुनिश्चित करता है कि आपका व्यापार स्थानीय नियमों और विनियमों के अनुसार चल रहा है। इससे न केवल व्यापारी की साख बढ़ती है, बल्कि ग्राहकों के बीच भी विश्वास बढ़ता है। व्यापार लाइसेंस का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंडों को सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान समा और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। इसके अलावा, यह ग्राहकों को यह आश्वासन देता है कि वे जिस सेवा या उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं वह मानकों के अनुरूप है। इस प्रकार, व्यापार लाइसेंस न केवल व्यापारी के लिए, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी आवश्यक है। साथ ही, व्यापार लाइसेंस व्यापारियों को सरकारी सहायता और सुविधाओं का लाभ उठाने में सहायता करता है। इसके बिना, व्यापारी बैंक ऋण, सरकारी अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता से वंचित रह सकते हैं। यह उन्हें कानूनी रुप से सुरक्षित भी रखता है, क्योंकि बिना लाइसेंस के व्यापार करना अवैध माना जाता है और इससे भारी जुर्माने और अन्य कानूनी परिणाम हो सकते हैं। व्यापार लाइसेंस व्यापारी की प्रतिष्ठा और ब्रांड की मान्यता को बढ़ाता है। इससे ग्राहकों में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि वे एक वैध और विश्वसनीय व्यापार से जुड़ रहे हैं। इस प्रकार, व्यापार लाइसेंस कंपनी के निगमन के बाद अनिवार्य होना सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि एक व्यापारी की विश्वसनीयता और सफलता की कुंजी भी है

1

What is a Trade License?

व्यापार लाइसेंस, एक निश्चित क्षेत्र में व्यापार शुरू करने का कानूनी प्रमाणपत्र है जिसे स्थानीय नगरपालिका द्वारा जारी किया जाता है, स्थानीय नगरपालिका व्यापार लाइसेंस के जरिये ये सुनिश्चित करती है की उनकी सीमा में व्यापारिक गतिविधियाँ सही तरीके से चलें, प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाएं ना अपनाई जाएं, सरकारी या निगम के नियमों का पालन हो, कानून का उल्लंघन या समाज में परेशानी ना हो, खतरनाक और रासायनिक पदार्थों का उपयोग सही तरीके से हो और यह लोगों या पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए, पर्यावरण के अनुकूल पदार्थों का इस्तेमाल हो, और व्यापार करते समय जरूरी सावधानियाँ बरती जाएं।

2

Advantages of Having a Trade License

कर्मचारी सुरक्षा, जिससे व्यापार में काम करने वाले लोगों का शोषण न हो और श्रम नियमों का पालन हो; अग्नि सुरक्षा, जिससे व्यापारिक परिसर में आग से संबंधित दुर्घटनाएं कम हों; निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का पालन, जिससे सभी हितधारकों की भलाई और रुचियां सुरक्षित रहें; उपभोक्ता सुरक्षा, जिससे उपभोक्ताओं को अवैध व्यापारिक गतिविधियों से बचाया जा सके, और इससे व्यापार की प्रतिष्ठा और सद्भावना बढ़े; और व्यापार विकास, जिससे ग्राहकों और सहयोगियों के बीच विश्वास और साख बढ़े।

3

Various Types of Trade Licenses

'इंडस्ट्रीज लाइसेंस' विभिन्न आकारों की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के लिए है, जैसे छोटी, मध्यम, और बड़ी पैमाने की फैक्ट्रियाँ। 'शॉप लाइसेंस' उन व्यापारों के लिए है जो किसी प्रकार की खतरनाक या आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल हैं, जैसे लकड़ी की बिक्री, पटाखों और मोमबत्तियों का निर्माण, नाई की दुकान और धोबी की दुकान। 'फूड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस' खाने के उद्योग से जुड़े व्यापारों के लिए है, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, फूड स्टाल, कैंटीन, मांस, सब्जियों की बिक्री, और बेकरियां इत्यादि ।

4

Who Grants Trade Licenses?

व्यापार लाइसेंस नगर निगम के लाइसेंसिंसें सिंग विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं, जो उद्योग, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार होता है। भारत सरकार इन लाइसेंसों को देशभर के शहरों में नियंत्रित और देखरेख करने के लिए अधिकृत है। किसी विशेष व्यापार या कारोबार को किसी निश्चित स्थान पर चलाने की अनुमति औपचारिक पत्रों या आधिकारिक दस्तावेजों/ जों प्रमाणपत्रों के माध्यम से दी जाती है। व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया राज्य दर राज्य अलग होती है, जो स्थानीय सरकारी एजेंसिजेंयों (नगरपालिकाओं) के नियमों और विनियमों द्वारा निर्देशित होती है।

Import Export Code

विश्व बाजार में कदम रखने का पहला कदम है आयात-निर्यात कोड: इसे हासिल करो और आगे बढ़ो

कंपनी के निगमन के बाद 'इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड' (IEC) का होना बहुत जरूरी है, जो व्यापारिक जगत में हमारी पहचान और विश्वसनीयता का प्रमाण होता है। यह कोड आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में ले जाता है। बिना IEC के, आप न तो विदेशों से माल आयात कर सकते हैं और न ही अपने देश का माल विदेशों में निर्यात। यानी यह कोड आपके व्यापार को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने का एक जरिया है। IEC न सिर्फ व्यापारिक लेन-देन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने का भी एक माध्यम है। इसके बिना, व्यापारी सरकारी सहायता और वित्तीय प्रोत्साहनों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए, IEC का होना न केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपके व्यापार को सरकारी सहायता के लिए भी पात्र बनाता है। बात करें डिजिटलीकरण की, तो IEC व्यापारियों को डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करने में मदद करता है। यह ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर व्यापार करने के लिए भी अनिवार्य है। इसके अलावा, यह कोड व्यापारी को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करने में भी सहायक है। IEC का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि यह व्यापारियों को विश्वस्तरीय बाजार में एक पहचान प्रदान करता है। यह कोड व्यापारियों के लिए एक प्रकार का गेटवे का काम करता है, जो उन्हें वैश्विक व्यापारिक समुदाय का हिस्सा बनाता है। इसलिए, IEC का होना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह आपके व्यापार को विश्वस्तर पर विकसित करने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करता है

1 Situations where IEC is required

आयात-निर्यात कोड (IEC) तब जरूरी होता है जब कोई आयातक अपनी खेप को सीमा शुल्क से मुक्त कराना चाहता है, तो यह कस्टम अधिकारियों को चाहिए होता है। जब कोई आयातक बैंक के जरिए विदेश में पैसे भेजता है, तो बैंक को यह कोड चाहिए होता है। निर्यातक के लिए, जब वह अपनी खेप भेजता है, तो सीमा शुल्क बंदरगाह को यह कोड चाहिए होता है। और जब निर्यातक विदेशी मुद्रा में सीधे अपने बैंक खाते में पैसे प्राप्त करता है, तो बैंक को यह कोड चाहिए होता है।

2 Benefits

यह आपके व्यापार का विस्तार करने में मदद करता है, आपके उत्पाद या सेवाओं को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में सहायक होता है। कंपनियां अपने आयात/निर्यात पर DGFT, निर्यात प्रोत्साहन परिषद, सीमा शुल्क आदि से कई लाभ उठा सकती हैं। IEC के साथ कोई रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होती। IEC कोड प्राप्त करना काफी आसान है और यह DGFT से आवेदन जमा करने के 10 से 15 दिनों के भीतर मिल जाता है, और इसके लिए किसी भी प्रकार के निर्यात या आयात का प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती।

3 Renewal

हर वित्तीय वर्ष के लिए, आयात-निर्यात कोड (IEC) को अप्रैल से जून के बीच अपडेट करना अनिवार्य होता है और इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जून है। अगर आप बिना किसी रुकावट के अपना आयात-निर्यात व्यापार जारी रखना चाहते हैं, तो समय पर IEC को अपडेट करना सबसे अच्छा उपाय है। IEC कोड का नवीनीकरण न करने पर आपका IEC प्रमाणपत्र निष्क्रिय हो जाएगा, IEC निष्क्रिय होने पर आप किसी भी प्रकार के आयात या निर्यात का व्यापार नहीं कर सकते।

4 Cases where Import-Export Code (IEC) is not mandatory

व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए किए गए आयात या निर्यात में, जब तक की उसका कोई व्यावसायिक उपयोग न हो, तब तक IEC की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार के विभागों और मंत्रालयों द्वारा किए गए आयात-निर्यात और सूचीबद्ध परोपकारी संस्थाओं को भी IEC प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

Copyright Registration

तुम्हारी कला, तुम्हारा अधिकार

जब आप कोई कंपनी खोलते हैं, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज, डिज़ाइन, और विशिष्टताएँ होती हैं जो आपकी कंपनी को अन्य कंपनियों से अलग बनाती हैं। अब इन खासियतों की सुरक्षा के लिए कॉपीराइट पंजीकरण बहुत जरूरी है। यह पंजीकरण आपके आइडियाज और डिज़ाइन को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई और आपके आइडियाज को बिना आपकी इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका एक और पहलू यह है कि जब आपकी कंपनी बढ़ने लगती है, तो बाजार में आपके प्रतिद्वंद्वी भी बढ़ते हैं। ऐसे में, यदि आपकी कंपनी के पास कॉपीराइट पंजीकरण नहीं होता, तो आपके प्रतिस्पर्धी आपके आइडियाज या डिज़ाइन को चुरा सकते हैं और उसे अपने नाम से पेश कर सकते हैं। इससे आपके व्यापार को नुकसान पहुंच सकता है और आपकी कंपनी की विशिष्टता और मूल्य कम हो सकता है। आपके आइडियाज और डिज़ाइन आपकी कंपनी की अमूल्य संपत्ति होते हैं। जब आप कॉपीराइट पंजीकरण करवाते हैं, तो आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि ये आइडियाज और डिज़ाइन आपकी कंपनी की संपत्ति हैं और इसके इस्तेमाल से होने वाले मुनाफे का हक सिर्फ आपको है। इससे आपकी कंपनी की आर्थिक स्थिरता और बाजार में साख बढ़ती है। कॉपीराइट पंजीकरण से आपको और आपकी कंपनी को एक पहचान मिलती है। यह पहचान आपके ब्रांड की विश्वसनीयता और बाजार में आपकी स्थिति को मजबूत करती है। कॉपीराइट पंजीकरण कंपनी निगमन के बाद सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, हीं बल्कि आपके व्यापार की सफलता और सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे आपकी कंपनी के आइडियाज और उत्पादों की सुरक्षा होती है, और आपके व्यापार का भविष्य सुरक्षित रहता है

1 Trademark Vs. Copyright

ट्रेडमार्क वो हथियार है जो आपके ब्रांड के नाम, लोगो, या स्लोगन की रक्षा करता है। मानो जैसे आपके धंधे की पहचान का बॉडीगार्ड हो। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रमित होने से बचाना और एक बिजनेस की विशिष्ट व्यापारिक पहचान बनाये रखना है, कॉपीराइट आपके क्रिएटिव टैलेंट का शील्ड है। चाहे वो साहित्य हो, संगीत हो, या फिर कोई कलाकृति, कॉपीराइट उसे आपका अपना बनाए रखता है। आपको पूरा हक देता है कि आप अपने इस काम को कैसे उपयोग करें, कैसे बेचें, या फैलाएं।

2 Copyright Registration for Startups ?

स्टार्टअप्स जो ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर कोड, उपयोगकर्ता मैनुअल, और विपणन सामग्री बनाते हैं, वे कॉपीराइट के अंतर्गत संरक्षित किये जा सकते हैं। यह उन्हें उनके लिखित कार्यों की अनधिकृत प्रतिलिपि और उपयोग से बचाता है। स्टार्टअप्स जो वीडियो प्रस्तुतिया, पॉडकास्ट, साक्षात्कार, ऑडियो गाइड, वेबिनार और विज्ञापन वीडियो विकसित करते हैं, वे भी कॉपीराइट से संरक्षित किये जा सकते हैं।

3 Validity of Copyright Registration

कॉपीराइट की अवधि सामान्यतः 60 वर्ष तक स्थापित की जाती है। लेकिन, ध्वनि रिकॉर्डिंग्स के संबंध में, एक विशेष नियम लागू होता है। ध्वनि रिकॉर्डिंग कॉपीराइट्स की दुनिया में, संरक्षण निर्माता के जीवनकाल के दौरान और उसके बाद निर्माता की मृत्यु के अतिरिक्त 60 वर्षों तक विस्तारित होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई ध्वनि रिकॉर्डिंग निर्माता 80 वर्ष की आयु में मर जाता है, तो उसके ध्वनि रिकॉर्डिंग्स पर कॉपीराइट संरक्षण उसकी मृत्यु के बाद अगले 60 वर्षों तक बना रहेगा, यानी कुल 140 वर्षों तक।

4 Benefit

कॉपीराइट के जरिए कानूनी सुरक्षा मिलती है, जिससे सिर्फ मालिक ही अपने काम का इस्तेमाल और बिक्री कर सकते हैं। इससे ब्रांड की पहचान और कीमत भी बढ़ती है। रचनाकार अपने काम के हक किसी और को भी दे सकते हैं। कॉपीराइट एक तरह से संपत्ति की तरह है, जिसका मोल लगाया जा सकता है और व्यापार भी किया जा सकता है। अंत में, यह आर्थिक स्थिरता भी लाता है, जिससे रचनाकारों और व्यापारियों को उनके काम का सही मूल्य मिलता है।

Professional Tax Registration

पेशेवर कर का पंजीकरण आपकी जिम्मेदारी और परिपक्वता का प्रतीक है

पेशेवर कर, जो विशेष रूप से कुछ राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, व्यापारिक संस्थाओं और पेशेवरों पर लागू होता है। यह कर न केवल सरकार के राजस्व में योगदान देता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि व्यापारिक संगठन समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक नई कंपनी के लिए, पेशेवर कर पंजीकरण अनिवार्य होता है क्योंकि यह उसकी कानूनी मान्यता को बढ़ाता है। इससे न केवल कंपनी की साख में वृद्धि होती है, बल्कि यह वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता का भी संकेत देता है। इस कर का भुगतान करने से कंपनी सरकारी नियमों का पालन करती है, जो भविष्य में अनेक सरकारी सुविधाओं और सेवाओं के लिए आवश्यक हो सकते है। इसके अलावा, पेशेवर कर पंजीकरण से कंपनी को विभिन्न वित्तीय लाभों का लाभ उठाने में मदद मिलती है। बैंक ऋण, सरकारी अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते समय, पेशेवर कर पंजीकरण का होना अक्सर एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है। पेशेवर कर पंजीकरण कंपनी निगमन के बाद केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जरूरी प्रक्रिया है, जिससे कंपनी की वैधता, वित्तीय स्थिरता, और सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह न केवल सरकारी नियमों के पालन में मदद करता है, बल्कि कंपनी की बाजार में प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। इस प्रकार, पेशेवर कर पंजीकरण एक कंपनी के स्थायी और सफल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है

1

Professional Tax

प्रोफेशनल टैक्स एक तरह का Direct टैक्स है जो भारत में राज्य सरकारें उन लोगों पर लगाती हैं जो किसी पेशे, नौकरी, व्यापार या ऐसे ही किसी काम से कमाई करते हैं। ये कर उस आयकर से अलग है, जो केंद्र सरकार लगाती है। जो लोग सैलरी या मजदूरी पाते हैं, उनके केस में ये टैक्स उनके बॉस या कंपनी उनकी सैलरी से काटकर सीधा राज्य सरकार को देते हैं। बाकी लोगों को ये टैक्स खुद भरना पड़ता है। हर राज्य में इस टैक्स की रकम अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा सालाना 2500 रुपये है।

2

In Which States & UT It Is Applicable

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पांडिचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल।

Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujrat, Jharkhand, Karnatak, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry, Punjab, Sikkhim, Tamil Nadu, telengana, Tripuura and Paschim Bengal

3

Professional Tax Registration

प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन व्यवसाय में कर्मचारियों को नियुक्त करने या पेशेवरों के लिए, अभ्यास शुरू करने के 30 दिनों के भीतर अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन को 30 दिनों के भीतर संबंधित राज्य कर विभाग को किया जाना चाहिए। यदि आयकरदाता के पास एक से अधिक कार्यस्थल हैं, तो प्रत्येक कार्यस्थल के लिए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अनुसार अलग से आवेदन करना चाहिए।

4

Professional Tax Payment & Return Filing

प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करने की अंतिम तारीखें इस प्रकार हैं: यदि एक नियोक्ता ने 20 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है, तो उसे महीने के अंत से 15 दिनों के भीतर भुगतान करना आवश्यक है। हालांकि, यदि एक नियोक्ता के पास 20 से कम कर्मचारी हैं, तो उसे तिमाही भुगतान करना होता है (यानी प्रत्येक तिमाही के अंत से अगले महीने की 15 तारीख तक)। प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न सभी प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन धारकों द्वारा भरा जाना चाहिए और इसके लिए फाइलिंग की अंतिम तारीखें राज्य-दर-राज्य अलग होती हैं।

PF & ESI Registration

PF और ESI पंजीकरण: आपके कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की पहली सीढ़ी

पीएफ, यानी प्रोविडेंट फंड, और ईएसआई, यानी एम्प्लॉयीज़ स्टेट इंश्योरेंस, दोनों ही कर्मचारियों के हित में बनाए गए कानून हैं। ये पंजीकरण इसलिए जरूरी होते हैं ताकि कर्मचारियों को उनके काम के दौरान सुरक्षा और भविष्य की सुरक्षा प्रदान की जा सके। पीएफ एक प्रकार की बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कुछ प्रतिशत राशि जमा करते हैं। यह राशि कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसे वापस मिलती है। यह न केवल रिटायरमेंट के लिए, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भी काम आती है। दूसरी ओर, ईएसआई पंजीकरण से कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और बीमारी के समय आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। ये पंजीकरण न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि कंपनी के लिए भी लाभदायक होते हैं। एक तरफ जहाँ यह कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह कंपनी को एक जिम्मेदार और कर्मचारी- अनुकूल संस्थान के रूप में पहचान दिलाता है। इससे कंपनी की छवि मजबूत होती है और कर्मचारी भी कंपनी के प्रति वफादार रहते हैं। इन पंजीकरणों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये कंपनियों को कानूनी रूप से सुरक्षित रखते हैं। अगर कोई कंपनी इनका पालन नहीं करती, तो उसे कानूनी जोखिमों और जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, पीएफ और ईएसआई पंजीकरण न केवल कर्मचारियों के लाभ के लिए, बल्कि कंपनी की कानूनी सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए भी अनिवार्य होते हैं। कुल मिलाकर, पीएफ और ईएसआई पंजीकरण करवाना एक जिम्मेदार कदम है जो कंपनियों को न केवल कानूनी दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी सुदृढ़ बनाता है। इससे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को दीर्घकालिक लाभ होता है, और यह कार्यस्थल पर एक स्वस्थ और सुरक्षित माहौल की नींव रखता है

1 PF & ESI Registration

नए नियमों के अनुसार, अब नयी कंपनी बनाने के समय ही PF (प्रोविडेंट फंड) और ESI (इम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस) का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। Proprietorship, पार्टनरशिप फर्मों और पुरानी कंपनियों को इसके लिए 'श्रम सुविधा' पोर्टल पर लॉगिन खाता बनाना होता है, जहाँ आप PF और ESI दोनों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सभी जरूरी जानकारियां जैसे कंपनी की डिटेल्स, पता, कर्मचारियों की जानकारी आदि ऑनलाइन एप्लिकेशन में भरनी पड़ती हैं। इसके बाद, थोड़े समय में विभाग द्वारा EPFO/ESIC का लेटर और कोड जारी किया जाता है, जिसकी सूचना आपको ईमेल के माध्यम से मिलती है। इन लॉगिन्स के माध्यम से आप अपने खाते को एक्सेस कर सकते हैं।

2 What to do with company registration when PF& ESI are already registered

जब तक कर्मचारियों की संख्या 20 तक नहीं पहुँचती, पीएफ रिटर्न दाखिल करना आवश्यक नहीं होता। हालांकि, 20 से अधिक होने पर पीएफ रिटर्न नहीं दाखिल करने पर EPFO कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर, ESI पंजीकरण के मामले में, अगर कोई कर्मचारी नहीं है तो 6 महीने की ग्रेस पीरियड की फाइलिंग 15 दिनों के भीतर करनी होती है। ग्रेस पीरियड फॉर्म नहीं जमा करने पर ESI बिल रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है, और रिटर्न नहीं दाखिल करने पर ESI पोर्टल ब्लॉक हो सकता है।

3 PF Compliances

यदि आपकी कंपनी में 20 या अधिक कर्मचारी हैं, तो उनके PF का ध्यान रखना जरूरी है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹15,000 से अधिक होने पर, उनका PF काटा जाता है, जिसमें कर्मचारी और कंपनी की ओर से बेसिक सैलरी का 12% जमा होता है। PF चालान हर महीने की 15 तारीख तक और मासिक रिटर्न्स 25 तारीख तक जमा करने होते हैं, जबकि वार्षिक रिटर्न्स की अंतिम तारीख 30 अप्रैल होती है।

4 ESI Compliances

अगर आपकी कंपनी में 10 या अधिक कर्मचारी हैं तो उनके ESI का ध्यान रखना जरूरी है और उनमे से जिनकी मासिक आय ₹ 21,000 से कम है, कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) के लिए पात्र होते हैं। ESI में कर्मचारी की आय का 0.75% और नियोक्ता की तरफ से 3.25% जमा किया जाता है। ESI हर महीने की 15 तारीख तक बैंक में जमा करना होता है, और ESI के मासिक Return भी हर महीने की 15 तारीख तक फाइल करनी होती हैं।

FAQs

Q. GST पंजीकरण के बाद कौन कौन से रिकॉर्ड रखने अनिवार्य हैं? GST पंजीकरण के लिए कोई शुल्क है?
A. GST पंजीकृत व्यक्ति को बिक्री, खरीद, इनवॉइस के रिकॉर्ड रखने अनिवार्य होते हैं, GST पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

Q. ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में कितना समय लगता है? ट्रेडमार्क आवेदन में अस्वीकार के कारण क्या हो सकते हैं?
A. आमतौर पर, यह प्रक्रिया 18-24 महीने का समय लेती है, यदि ट्रेडमार्क भ्रामक, अश्लील, या पहले से मौजूद ट्रेडमार्क के समान हो, तो आवेदन अस्वीकार हो सकता है।

Q. क्या ISO प्रमाणन अनिवार्य है? ISO प्रमाणन की लागत क्या है?
A. यह अधिकतर उद्योगों के लिए वैकल्पिक है, लेकिन कुछ विशिष्ट उद्योगों और बाजारों में यह अनिवार्य होते हैं, लागत संगठन के आकार, परिसर, और चुने गए ISO मानक पर निर्भर करती है।

Q. दुकान और स्थापना पंजीकरण के लिए शुल्क कितना है? यह पंजीकरण कितने समय के लिए मान्य होता है?
A. शुल्क राज्य के अनुसार और व्यवसाय के प्रकार और आकार के आधार पर भिन्न हो सकता है, यह पंजीकरण आमतौर पर एक वर्ष के लिए मान्य होता है और इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

Q. Udyam Registration के बाद क्या करना होता है? Udyam Registration की वैधता कब तक होती है?
A. Registration के बाद, उद्यमों को अपने व्यापार की वार्षिक आय और निवेश की जानकारी अपडेट करते रहना आवश्यक होता है, Udyam Registration की कोई समय सीमा नहीं होती, लेकिन जानकारी अपडेट करना जरूरी है।

Q. व्यापार लाइसेंस के बिना व्यवसाय करने के परिणाम क्या हो सकते हैं? व्यापार लाइसेंस के लिए शुल्क क्या है?
A. इससे जुर्माना, व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक या अन्य कानूनी कार्रवाइयां हो सकती हैं, शुल्क व्यावसायिक प्रकृति, स्थान और स्थानीय निकाय के नियमों पर निर्भर करता है।

Q. IEC कोड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? IEC कोड प्राप्त करने की लागत क्या है?
A. IEC कोड प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी की वेबसाइट पर आवेदन करना पड़ता है, जिसमें आपके व्यापार से संबंधित कुछ दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करानी होती है, IEC कोड प्राप्त करने की लागत संगठन के प्रकार और आवेदन की स्थिति पर निर्भर करती है, लेकिन आम तौर पर यह एक छोटी राशि होती है।

Q. क्या कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? क्या सभी प्रकार के कार्यों के लिए कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन संभव है?
A. यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह कानूनी सुरक्षा और दावे साबित करने में मदद करता है, जी हाँ, लेकिन कार्य मौलिक होना चाहिए और एक निश्चित रूप में होना चाहिए। विचार और तथ्य कॉपीराइट के अधीन नहीं होते।

Q. स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन के तहत वित्तीय सहायता कैसे मिलती है? स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन के लिए किन क्षेत्रों के स्टार्टअप्स योग्य हैं?
A. सरकार विभिन्न फंडिंग स्कीमों और ऋण सुविधाओं के माध्यम से स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप्स इस पहल के लिए योग्य हैं।

Q. प्रोफेशनल टैक्स की दरें क्या हैं? क्या प्रोफेशनल टैक्स कटौती कर से छूट प्राप्त होती है?
A.प्रोफेशनल टैक्स की दरें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती हैं और यह आय के स्तर पर निर्भर करती हैं, प्रोफेशनल टैक्स भुगतान को आयकर में छूट के रूप में दावा किया जा सकता है।

Q. क्या PF और ESI के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? क्या छोटी कंपनियां भी PF और ESI के लिए रजिस्टर कर सकती हैं?
A.हां, PF और ESI दोनों के लिए अलगअलग रजिस्ट्रेशन करना होता है, हां, छोटी कंपनियां भी स्वेच्छा से PF और ESI के लिए रजिस्टर कर सकती हैं।

Our Other Publication

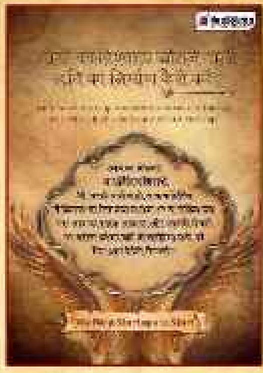

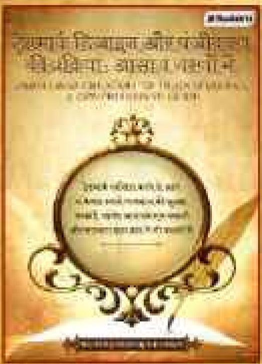
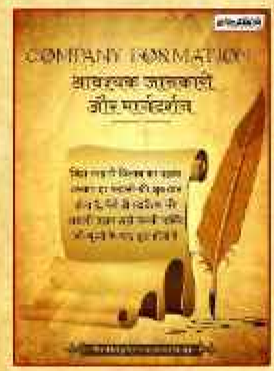

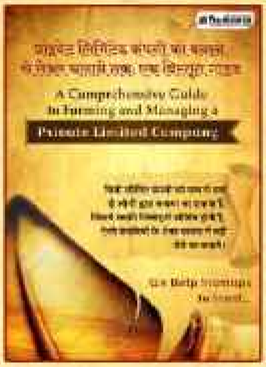

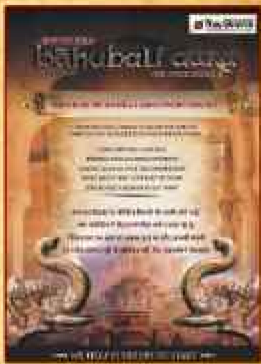

Scan & Download All Booklets

NEUSOURCE STARTUP MINDS INDIA LIMITED

Corporate Office

B-11, Basement, Shankar Garden, Vikaspuri
New Delhi-110018 (India)
Email: Info@neusourcestartup.com
Website: www.neusourcestartup.com
Contact:- +91-7305145145, +91-11-46061463
Branches:- Delhi, Kolkata, Lucknow, Bangalore, Jaipur